

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1413 /11-सी-FP/UP/Trans/18048/2016, लखनऊ: दिनांक: जनवरी 16, 2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन),
रेणुसागर को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हे० आरक्षित
वनभूमि के पट्टे का 25 वर्षों के लिए लीज नवीनीकरण के संबंध में।

सन्दर्भ:- उ०प्र० शासन का पत्रांक-3403/14-2-2019-145(233)/64, दिनांक 14.01.2019
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त
सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयोंकित प्रकरण में वांछित सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर
मण्डल, मीरजापुर ने अपने पत्रांक-2822/मी०क्षे०/33, दिनांक-15.01.2019 द्वारा इस कार्यालय को
प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित सूचना/अभिलेख संलग्न कर इस अनुरोध के
साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की
कृपा करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,
16/1

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- /11-सी-FP/UP/Trans/18048/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. सहायक महाप्रबन्धक, मै० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि०, रेनुकूट-सोनभद्र।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।